

लखनऊ नगर की परिवेशीय वायुगुणता में सुधार के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की सह-अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

लखनऊ नगर की परिवेशीय वायुगुणता में सुधार के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की सह-अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया—

1. नगर आयुक्त, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक जिला पर्यावरण समिति, लखनऊ।
3. पुलिस उपायुक्त, यातायात लखनऊ।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
10. डा० सुमित शर्मा, डायरेक्टर, अर्थ साइंसेज एण्ड क्लाइमेट चेन्ज डिवीजन, TERI, New Delhi.

2— सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा सर्वप्रथम बैठक में प्रतिभाग किये सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर के वायु प्रदूषण के स्रोतों को ज्ञात करने के उद्देश्य से वर्तमान में सोर्स अपोर्सन्मेन्ट स्टडी TERI द्वारा की जा रही है, जिससे कि लखनऊ नगर में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से Share of Emissions आदि की जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त के अतिरिक्त लखनऊ नगर की सोर्स अपोर्सन्मेन्ट स्टडी, इमीशन इन्वेन्ट्री एवं कैरिडिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन उक्त संस्थान द्वारा किया जा रहा है। संस्थान (TERI) से अध्ययन में पाये गये तथ्यों की प्रारम्भिक रिपोर्ट की प्रस्तुतिकरण किये जाने की अपेक्षा की गयी।

3— बैठक में डा० सुमित शर्मा, TERI द्वारा लखनऊ नगर की वायु प्रदूषण में विभिन्न स्रोतों तथा इनसे जनित Share of Emissions के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए प्रस्तुतिकरण किया गया तथा अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर की वायुगुणता में प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक पी०एम०१० एवं पी०एम०२.५ में अधिकतम Share of Emissions रोड डस्ट रीसस्पेंशन द्वारा जनित धूल के कण हैं, जिसमें पी०एम०१० का Share 85 प्रतिशत तथा पी०एम० 2.5 का 71 प्रतिशत है। इनके द्वारा प्रचलित अध्ययन के आधार पर विभिन्न स्रोतों से जनित प्रदूषकों के अंश के सम्बन्ध में निम्नानुसार जानकारी दी गयी—

Share of Emissions	PM10	PM2.5	SO2	NO2	CO	NMVOC
Road Dust Resuspension	85%	71%	-	-	-	-
Transport	06%	19%	25%	98%	98%	98%
Construction	06%	04%	-	-	-	-
Industry	03%	04%	54%	-	-	-
Others	0%	2%	21%	02%	02%	02%

4- श्री पी0के0 अग्रवाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ नगर में विभिन्न प्रमुख मार्गों पर किये गये डस्ट लोड के अनुश्रवण, सड़कों की स्थिति, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट एवं गार्वज डम्पिंग लोकेशनस्, हाट-स्पाट आईडेन्टीफिकेशन आदि के विषय में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा पूर्व में लखनऊ नगर के प्रमुख मार्गों पर किये गये डस्ट लोड के अनुश्रवण सम्बन्धी अध्ययन में पाया गया है कि वर्षा ऋतु के अपेक्षाकृत डस्ट लोड शरद एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिक पाया गया है। वाहनो के गुजरने से सड़को पर जमा धूल के कणों का परिवेशीय वायु में रीसस्पेंशन होता है, जिससे कि पी0एम010 एवं पी0एम0 2.5 की मात्रा में बढ़ोत्तरी होती है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि लखनऊ नगर के प्रमुख सड़कों की नियमित सफाई एवं जल छिड़काव करके उक्त प्रचालकों की मात्रा में कमी लायी जा सकती है।

श्री अग्रवाल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में कतिपय क्षेत्रों में रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे जनित धूल द्वारा भी वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार की सड़कों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। श्री अग्रवाल द्वारा लखनऊ नगर में वायु प्रदूषण के दृष्टि से चिन्हित हाट-स्पाट के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिनमें prioritization टूल्स के माध्यम से 33 हाट-स्पाट में से 09 को प्राइटाइज किया गया जिन पर प्रभावी क्रियान्वयन कर इसे नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में वर्तमान में संचालित वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों की 1 किमी0 की परिधि में स्थिति हाट-स्पाट को चिन्हित कर इसके नियंत्रण पर प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ में ऐसे स्थलों की जियो टैगिंग की गयी जहां सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, डेमेज रोड पायी गयी। उक्त सभी स्थलों की जानकारी दिये गये प्रस्तुतिकरण में दर्शायी गयी थी, जिसे सम्बन्धित विभागों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

5- बैठक में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा भी लखनऊ शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कण्ट्रोल स्ट्रेटजी का प्रस्तुतिकरण किया गया। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा डस्ट ऐप के माध्यम से निर्माण परियोजनाओं में डस्ट कंट्रोल किया जाना, priority हाटस्पाट्स में वायु प्रदूषण के स्रोतों को चिन्हित कर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाना, सतत् एवं मैनुअल वायु गुणता मॉनीटरिंग स्टेशन के इम्पैक्ट जोन में स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण तथा ऐपीसोडिक वायु प्रदूषण का पूर्व आंकलन कर कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया। उक्त के अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ट्रैफिक हॉटस्पाट मैनेजमेंट विशेषकर ट्रैफिक हॉटस्पाट्स में अवैध वेंडिंग जोन तथा अवैध पार्किंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं नो व्हीकल जोन घोषित किये जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किये जाने के निर्देश दिये गये।

6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि, नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में यह सुनिश्चित कराया जाये कि वहाँ कूड़े के ढेर अथवा सड़कों की सफाई के दौरान जनित कूड़े को जलाया न जाये तथा इसका उत्तरदायित्व संबंधित वार्ड कार्मिक का निर्धारित करते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाये।

शहर में स्थित वायु गुणता अनुश्रवण केंद्र एवं अन्य चिन्हित हॉट स्पॉटस् के एक किलोमीटर की परिधि में खाली स्थानों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया जाये तथा वहाँ पर मियावाँकी तकनीक आधारित फॉरेस्टेशन विकसित किये जाने का प्रस्ताव वन विभाग के माध्यम से तैयार करा कर बोर्ड को प्रेषित किया जाये ताकि इसके वित्तपोषण की कार्यवाही की जा सके।

7- TERI द्वारा लखनऊ नगर की वायुगुणता में सुधार हेतु किये जा रहे सोर्स अपोर्सन्मेन्ट स्टडी की प्रारम्भिक रिपोर्ट तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के

दृष्टिगत सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० एवं सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये—

- 1— डस्ट ऐप पर पंजीकृत परियोजनाओं का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु लॉगइन आई०डी० एवं पासवर्ड संबंधित विभागों के साथ साझा की जायें तथा डस्ट ऐप के संबंध में संबंधित विभागों को एक प्रशिक्षण भी आयोजित कराया जाय ताकि संबंधित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी अनुश्रवण एवं दोषी परियोजनाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 2— नगरीय क्षेत्र में संचालित वृहद निर्माण परियोजनाओं में "डस्ट ऐप" के माध्यम से निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। डस्ट ऐप के माध्यम से उनके द्वारा स्वघोषित डस्ट कंट्रोल ऑडिट का उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित विभाग के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन करते हुए दोषी निर्माण इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाय। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि संबंधित कांट्रैक्टर द्वारा निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा कांट्रैक्टर के भुगतान से समायोजित करते हुए रिकवर किया जाय।

(कार्यवाही—नगर निगम, लखनऊ/लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं लोक निर्माण विभाग, लखनऊ)

- 3— विभिन्न मार्गों के किनारे एकत्रित अवांछित निर्माण सामग्री/विध्वंस अपशिष्ट को चिन्हित एवं जियो टैगिंग करते हुए उन्हें हटाकर यथोचित स्थल पर निस्तारित किया जाये तथा निर्माण कार्य में प्रयोग की जा रही निर्माण सामग्री को एग्री शेड नेट से ढक कर एवं वाटर स्प्रिंकलिंग कर भण्डारित किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही—नगर निगम, लखनऊ/लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ०प्र० जल निगम, लखनऊ/लोक निर्माण विभाग, लखनऊ)

- 4— उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टेरी, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर लखनऊ नगर के अंतर्गत हाई रोड डस्ट प्रदूषण उत्पन्न करने वाले मार्गों को चिन्हित किया जाय तथा इन मार्गों से उत्पन्न डस्ट प्रदूषण को न्यून किये जाने की दृष्टि से उन्हें गड्ढा मुक्त/अनपेव्ड सड़कों को पक्का करने की कार्ययोजना तैयार कर सितम्बर माह के अन्त तक मरम्मत/ब्लैक टॉपिंग कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही—नगर निगम, लखनऊ/लखनऊ विकास प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग, लखनऊ/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं टेरी, नई दिल्ली)

- 5— उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टेरी, नई दिल्ली द्वारा चिन्हित हाई रोड डस्ट प्रदूषण उत्पन्न करने वाले मार्गों की सफाई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से करने तथा सड़को की नाइटवशिंग की कार्ययोजना बना कर उसे कियान्वित किया जाय।

(कार्यवाही—नगर निगम, लखनऊ/लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं टेरी, नई दिल्ली)

- 6— उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित priority यातायात हाट-स्पाट्स स्थलों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति के दृष्टिगत प्रभावी कार्यवाही विशेषकर पार्किंग स्थलों को चिन्हित करते हुए "नो व्हीकल जोन" घोषित किये जाने, अवैध वेंडिंग स्थलों

को चिन्हित कर उन्हें हटावाये जाने तथा अवैध पार्किंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु 01 माह में एक्शन प्लान तैयार कर क्रियान्वित किया जाय।

**(कार्यवाही—जिला प्रशासन, लखनऊ /नगर निगम,
लखनऊ/यातायात पुलिस, लखनऊ)**

- 7— लखनऊ नगर में हाल में ही स्थापित आई0टी0एम0एस0 व्यवस्था में नगर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों के अवांछित हाल्टिंग समय को कम करने के दृष्टिगत आई0टी0एम0एस0 व्यवस्था की समीक्षा की जाये ताकि ट्रैफिक लोड के समानुपातिक हाल्टिंग सुनिश्चित हो सके।

(कार्यवाही—यातायात पुलिस, लखनऊ/नगर निगम, लखनऊ)

- 8— तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र हॉटस्पॉट का सुनियोजित प्रबंधन एवं उसके निकट के क्षेत्रों में प्रदूषण स्रोतों विशेषकर बालू तथा मौरंग विक्रेताओं के द्वारा अवैध रूप से भण्डारित सामग्री को हटवाया जाये तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

**(कार्यवाही— जिला प्रशासन, लखनऊ/नगर निगम, लखनऊ एवं
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

- 9— नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले निर्माण सामग्री के वाहनों में निर्माण सामग्री को समुचित रूप से ढक कर ले जाना सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत प्रभावी प्रवर्तन कराया जाय। उक्त कार्य हेतु लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर का भी प्रयोग किया जाय।

**(कार्यवाही— परिवहन विभाग, लखनऊ/यातायात पुलिस,
लखनऊ/नगर निगम, लखनऊ)**

- 10— कूड़ा/कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से सम्बन्धित घटनाओं पर नियंत्रण हेतु अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु नगर निगम में स्थापित इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाय तथा उसके हेल्प लाइन नम्बर का वृहद रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये।

(कार्यवाही— नगर निगम, लखनऊ/अग्निशमन विभाग)

- 11— नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में कूड़े के ढेर अथवा सड़कों की सफाई के दौरान जनित कूड़े को जलाया न जाये तथा वेट ब्रूमिंग अपनायी जाय, ताकि सफाई के दौरान डस्ट पॉल्यूशन जनित न हो।

(कार्यवाही—नगर निगम, लखनऊ)

- 12— शहर में स्थित वायु गुणता अनुश्रवण केंद्रों एवं अन्य चिन्हित हॉट स्पॉट्स के एक किलोमीटर की परिधि में पार्क/खाली पड़े स्थानों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया जाये तथा वहाँ पर मियावॉकी तकनीक आधारित वन विकसित किये जाने का प्रस्ताव वन विभाग के माध्यम से तैयार करा कर नगर निगम, लखनऊ एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाये ताकि इसके पंद्रहवें वित्त आयोग/राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से वित्तपोषण कराये जाने की कार्यवाही की जा सके।

**(कार्यवाही—नगर निगम, लखनऊ/वन विभाग
एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ)**

- 13— लखनऊ शहर में शीतकाल में सम्भावित दीपावली पर्व के दौरान एवं अन्य एपिसोडिक एयर पोल्यूशन को चिन्हित करते हुए उसे न्यून किये जाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जाय, ताकि समयान्तर्गत पूर्व तैयारी सुनिश्चित करते हुए एपीसोडिक एयर पोल्यूशन की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

(कार्यवाही- जिला प्रशासन, लखनऊ / नगर निगम,

लखनऊ/यातायात पुलिस, लखनऊ एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 15- लखनऊ शहर की वायु गुणता को प्रभावित करने वाले स्थानीय वायु प्रदूषण स्रोतों के सूक्ष्म विवरण टेरी, नई दिल्ली द्वारा उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उनके आधार पर कंट्रोल मेजर्स संबंधित विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जा सके।

(कार्यवाही-टेरी, नई दिल्ली)

- 16- उपरोक्त दिये गये निर्देशों का संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा अनुपालन एवं कार्ययोजना माह अगस्त, 2021 के अन्त तक तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-मेल- soenvups@rediffmail.com तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल- ms@uppcb.in पर उपलब्ध करायी जाय।

इस संबंध में पुनः समीक्षा बैठक माह सितम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में पुनः आयोजित की जायेगी। अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

अनुराग यादव
सचिव।

आशीष तिवारी
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7


संख्या-722/81-7-2021-09 (रिट)/2016

लखनऊ : दिनांक : 06 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/गृह/परिवहन/कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. पुलिस उपायुक्त, यातायात, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
10. महाप्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

2